संख्या-1112/2026/444/22-2-2026-17(191)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय:- जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ज्योतिया देवी पत्नी श्री हरेन्द्र चौहान, निवासी जनपद-कुशीनगर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 09.02.2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ज्योतिया देवी पत्नी श्री हरेन्द्र चौहान, पुष्कर नगर दसहवां, थाना-बरवापट्टी, जनपद-कुशीनगर की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 24.05.2006 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व डण्डे से मारकर श्रीमती रामदेई की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-109/2007 में धारा-304/34, 323/34, 504 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-प्रथम, कुशीनगर स्थान, पडरौना के दण्डादेश दिनांक 26.08.2025 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2025 तक अपरिहार 06 माह, 20 दिन तथा 06 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। महिला बन्दी की आयु दिनांक 10.09.2025 तक 70 वर्ष है।

3- सिद्धदोष महिला बन्दी ज्योतिया देवी पत्नी श्री हरेन्द्र चौहान की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 07 वर्ष कारावास के सापेक्ष दिनांक 10.09.2025 तक अपरिहार 06 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 06 माह, 20 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, महिला बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी ज्योतिया देवी (बन्दी संख्या-88/2025) पत्नी हरेन्द्र चौहान,

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

निवासी जनपद-कुशीनगर की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1112/2026/444(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार देवरिया।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।